

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक: प.4(241)वित्त-1(1)आ.व्य./2009

जयपुर, दिनांक : 25 फरवरी, 2011

संबंधित कोषाधिकारी
कोष कार्यालय
(राजस्थान)।

स्वीकृति संख्या - 646/2010-11

विषय :- अमृता देवी विश्नोई योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में राज्य योजना से राशि
आवंटन बाबत ।

महादय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आयुक्त एवं शासन सचिव (ईजीएस), ग्रामीण विकास विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक : एफ.20(20)आर डी/एन आर जी एस/10-11 दिनांक 17.02.2011 में अंकित शर्तों के अनुसार निम्न जिला परिषदों (ग्रामीण विकास) के पी.डी. खातों में उनके सम्मुख अंकितानुसार कुल राशि रुपये 545.56 लाख (अक्षरे राशि रुपये पांच करोड़ पैंतालीस लाख छप्पन हजार) मात्र निम्न बजट मद से व्यय दर्शाते हुए हस्तान्तरित कर दी जावे :-

बजट मद

- 2505- ग्राम्य रोजगार
02- ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (राज्यांश)
800- अन्य व्यय
(01)- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महिला श्रमिकों को प्रोत्साहन योजना


(राशि रुपये लाखों में)

क्र. सं.	जिला परिषद	मांग संख्या - 30 [01] अनुदान (राज्य योजना) 12. सहायतार्थ अनुदान (आयोजना)	मांग संख्या - 51 [02] अनुदान (राज्य योजना) 12. सहायतार्थ अनुदान (आयोजना)	मांग संख्या - 50 [03] अनुदान (राज्य योजना) 12. सहायतार्थ अनुदान (आयोजना)	महायोग
1.	अलवर	1.53	0.65	5.83	8.01
2.	पाली	15.67	6.61	59.66	81.94
3.	जालौर	14.83	6.25	56.45	77.53
4.	राजसमंद	8.08	3.41	30.75	42.24
5.	कोटा	2.10	0.89	8.02	11.01
6.	नागौर	17.21	7.26	65.53	90.00
7.	जयपुर	17.21	7.26	65.53	90.00
8.	चित्तौड़गढ़	0.45	0.18	1.70	2.33
9.	डुण्डुनु	2.39	1.00	9.10	12.49
10.	बारा	1.14	0.49	4.38	6.01
11.	झींकर	6.50	2.74	24.76	34.00
12.	अजमेर	17.21	7.26	65.53	90.00
	योग :-	104.32	44.00	397.24	545.56

(अक्षरे राशि रुपये पांच करोड़ पैंतालीस लाख छप्पन हजार) मात्र

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिये ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

भवदीय,




25.02.11

(सुधीर शर्मा)

उप शासन सचिव (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, एवं शासन सचिव (ईजीएस) ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
4. निवासी, लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. विशेषाधिकारी, वित्त (व्यय-5) विभाग, जयपुर।
6. उप शासन सचिव, आयोजना विभाग, जयपुर।
7. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान
8. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग, जयपुर।
9. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।



25.02.11

उप शासन सचिव (बजट)